

31/01/2



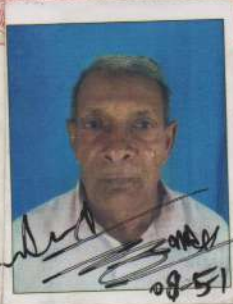
5991

76

Trust
10/10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 801262



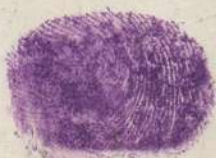
ट्रस्ट का नाम : शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक २४.०४.२०१३ को आजमगढ़ में श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव निवासी-ग्राम-भगवानपुर, पो०-मदियापार, तह०-बूढनपुर जिला-आजमगढ़ उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया। जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया ५०००/- (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है जिसे वह पुरुषार्थ एवं समाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। क्योंकि यह ट्रस्ट शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतो से दान, उपकरण, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों की ओर बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यो में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक व अपनी इच्छा के अनुकूल ५०००/-रु० (पांच हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय निवासी-ग्राम-भगवानपुर, पो०-मदियापार, तह०-बूढनपुर जिला-आजमगढ़ उ०प्र० रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-व, पो०-हीरापट्टी, तह०-सदर जिला-आजमगढ़ उ०प्र० होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा।



जितेन्द्र प्रसाद यादव

900 रूप

21-58-96

दिनांक
22/4/2013



प्रति निवेदन 29. 100. 100. 200. 800.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

BK 801261

ट्रस्ट का नाम : शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट १८८२ के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)
उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य :- ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

१. बिना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, बी०एड०, बी०टी०सी० प्रशिक्षण संस्थान पुस्तकालयो, वाचनालयो, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयो, बृद्ध आश्रमो, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रवासो, कम्प्यूटर केन्द्रो, निराश्रितो केन्द्रो सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्रो, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रो की आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदो विभागो, प्रतिष्ठानो, संस्थाओं, शासन आदि में उन्हे मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
२. समाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय तथा मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज, नर्स ट्रेनिंग कालेज, आई०टी०आई० कालेज, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी आदि संस्थानाओं की संस्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापन, चिकित्स केन्द्र, अस्पताल, प्रेस, की स्थापना, संचालन, विकास आबद्ध, लैब टेक्नियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।
३. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयो/महाविद्यालयो/मेडिकल कालेजो का अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट मे ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना समायोजित कर सके।
४. पुस्तक, पुस्तिकाये, पत्र एवं पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित/ मुद्रित/सम्पादित करना एवं उसके वितरित एवं विक्रित कर सकना।
२. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियो को संचालन करना।
३. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओ का संचालन करना।
४. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कंटाय रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।



जि लेन ५ २५/११ २१/१०५

का ज म को षा ना २

20 APR 2013

स्मिता देवी

का ज म

22473

A circular library stamp from the University of Toronto Libraries. The stamp features a central emblem of a lion standing on a pedestal. The words "UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES" are inscribed around the perimeter of the circle. The stamp is somewhat faded and shows signs of wear.

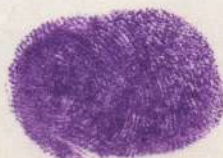


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

BK 664426

५. उधानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
६. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
७. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
८. कृषि सम्बन्धित आदि विषयो की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना
९. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागो के कार्यक्रम का संचालन करना।
११. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिकाओ, समाचार पत्रो इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
१२. अंधे, गुंगे, बहरे, विकलांग, असहाय लोगो के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
१३. विभिन्न विषयो एवं पाठ्यक्रमो यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयो का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
१४. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं मे छात्र छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
१५. पुस्तको साहित्य, पत्रो, पाठ्यक्रमो आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन मुद्रण वितरण आदि का संचालन करना।
१६. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम अधिवेशन, गोष्ठीय सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम, आदि आयोजित कराना।



1 जे ले ५२१६४६०६

630112100/

खा. नं. 1001 के मा. सं. 2003 के 21 नवंबर 2013

Signature
8/5/13

माननीय न्यायाधीश
उच्च न्यायालय, दिल्ली



2013/5/8 के दि.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

BK 801269

१७. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।
१८. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाईटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट द्वारा समायोजित करना।
१९. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
२०. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
२१. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
२२. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयत्न कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
२३. एड्स के बारे में जन जागरण करने हेतु प्रचार प्रसार कर सकना।
२४. पुस्तक पुस्तिकाएँ, पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित एवं विक्रय कर सकना।



उत्तर प्रदेश सरकार

21 32 92

224 73





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

BK 801260

२५. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
२६. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्विधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
२७. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उपर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयो पर जन चेतना, जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
२८. धार्मिक स्थलो को निर्माण एवं जीर्णोधार कर सकना।
२९. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का अयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
३०. विभिन्न आयोजनो एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
३१. विभिन्न संस्थाओ/विद्यालयो/महाविद्यालयो/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजो, प्रतिष्ठानो के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
३२. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा मे वृद्धि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य मे प्रयोग करनी।
३३. ट्रस्ट जन सम्मान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवाएं वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का जनहित मे सड़क, खडन्जा, तालाबो का निर्माण मछली पालन, पशु पालन आदि का प्रचार कर सकना।
३४. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिये ही कार्य नहीं करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।



1 जेते २५ २०१६ २५६०

26-2-88

26 4 72



A circular library stamp from the University of Toronto Libraries. The text "UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES" is arranged in a circle around the perimeter. In the center, the year "1964" is printed. The stamp is slightly faded and has a textured appearance.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

BK 801259

३५. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर मे ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूति करने हेतु ही व्यय करेगा।
३६. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लिनिक का निर्माण करना।
३७. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना फल एवं औषधि खेती के विषय मे जानकारी देना उवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।

प्रारम्भिक उपबन्ध :-

- वर्तमान मे ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक से श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मे मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव की मृत्यु के पश्चात उनके लड़के श्री जनार्दन यादव इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे तथा श्री राधेश्याम यादव भी अपने दायित्वों का सम्यक ढंग से निर्वहन करेंगे।
- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा ने कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।



जितेन्द्र प्रसाद यादव

22 22 95

22-4-23



१५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

BK 801270

५. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्थ में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।
६. यह कि भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
७. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
८. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।



जितेंद्र कुमार

21. 5 96

229012



१८७३

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 400631

(8) बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

१. जितेन्द्र प्रसाद यादव उम्र वर्ष पुत्र अवध प्रताप यादव निवासी-ग्राम भगवानपुर, पो०-मदियापार
तहसील-बूढ़नपुर, जिला-आजमगढ़ संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष
२. जनार्दन सिंह यादव उम्र पुत्र श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव ,, ,, न्यासी सदस्य
३. राधेश्याम यादव उम्र वर्ष पुत्र जितेन्द्र प्रसाद यादव ,, ,, न्यासी सदस्य

नियमावली-

१. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयो पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमे कि अधिकतम २१ सदस्य होंगे।
२. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्यवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
३. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
४. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।



जितेन्द्र प्रसाद यादव

14
ant

शास्त्री देवी लड़कन हउ एपुले ११४ हूए

हिलापट्टी ३

22/4/13



VE 400621

उत्तर प्रदेश

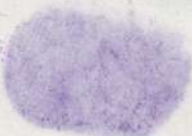
श्री १००० रुपये

१. श्री १००० रुपये का नोट
२. श्री १००० रुपये का नोट
३. श्री १००० रुपये का नोट
४. श्री १००० रुपये का नोट

विशेष

१. श्री १००० रुपये का नोट
२. श्री १००० रुपये का नोट
३. श्री १००० रुपये का नोट
४. श्री १००० रुपये का नोट
५. श्री १००० रुपये का नोट
६. श्री १००० रुपये का नोट
७. श्री १००० रुपये का नोट
८. श्री १००० रुपये का नोट

१००० रुपये का नोट





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 400632

9

(५) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वहाँ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

२. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष एवं अपनी प्राप्त आय से ही आय का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायित्व होगा।

३. कार्यक्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र/सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व की किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष की सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय कर सकता है।

४. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।



10/10/2015 21/10/15

5/5/20

103
22/4/13



VE 400633

UTTAR PRADESH

(2) आदेश :-

आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

आदेश :-

आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

आदेश :-

आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
आदेश के अन्तर्गत यह आदेश है कि जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

10/2/20 K. S. S. S.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 400921

10

(८) सचिव/उप सचिव की नियुक्ति :-

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख भाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवो की नियुक्ति कर सकेगा।

(२) यह कि सचिव/उप सचिव के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

(३) यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(९) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देख भाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षो की नियुक्ति कर सकेगा।

२. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षो के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य सामाजिक ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

३ यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों की मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसार पर्यन्त कार्य करेंगे। कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तिया कर सकता है अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।



1 जितेंद्र ५ भाद २०६५

6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 400923

11

(१०) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे :-

- (क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- (ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व ठीक ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
- (ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक २४.०४.२०१३ से मान्य होगा।

(११) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता है।

(१२) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सुविधा के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

- १. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
- २. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना
- ३. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पद मुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकना।
- ४. विभिन्न कार्यकलापो उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/विभागो केन्द्रो/संस्थाओं/ उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजको/निर्देशको पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।



1 जून 2014

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 400922

12

५. ट्रस्ट/ संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु निर्णायक नियुक्ति कर सकना।
- ६ एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

- ७ प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रशासन/वितरण/ विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना
- ८ जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(१३) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- १ सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना
- २ सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों कार्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
- ३ सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(१४) बैंक एकाउण्ट :-

१. ट्रस्ट या खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
२. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोलना एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।



दिनांक २४/११/२०१६

17
ans

सद्व 14

03
22/4/12

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

पंकज लघाध्याः

मो. नं. 123456789

पंकज
लघाध्याः

Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

AE 400322

उत्तर प्रदेश

12

1. निम्नलिखित एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
2. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
3. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
4. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
5. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
6. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
7. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
8. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
9. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।
10. एक तहसील के अन्तर्गत स्थित है।

पंकज लघाध्याः



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

21AA 482862

95. विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है, या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(96) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में व सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेखविलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेंट पर रख सकता है, किराये पर दे सकता है ले सकता है, अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार, आग्रह, भेट सम्मन पुरस्कार स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट पक्ष को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है, किसी भी संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति भाड़ा, क्रय अनुज्ञापति बन्धक पारित गिरवी विभाजित आदि कर सकता है, ले सकता है।

97 विशेष :-

- (क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/ईकाई

(निर्देश 4 अक्टूबर 2014)

21
20/10

22/10/19

22/10/19

जिला अध्यापक
महो 40-3 तहसील सदर आजमगढ़

यास पत्र

5,000.00

100.00

20

120.00

800

न्यास की राशि

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

श्री

जितेन्द्र प्रसाद यादव

पुत्र श्री

अवध प्रताप यादव

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी सा0 भगवानपुर पो0 मदिआपार तह0 बूढनपुर जिला आजमगढ़

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/5/2013 समय 2:03PM

बजे निवेदन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0के0 मिश्र

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ़

8/5/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

जितेन्द्र प्रसाद यादव

श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव

पुत्र श्री अवध प्रताप यादव

पेशा कृषि

निवासी सा0 भगवानपुर पो0 मदिआपार तह0

बूढनपुर जिला आजमगढ़



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शशांक मिश्रा

पुत्र श्री राजगुरु मिश्रा

पेशा अन्य

निवासी सा0 बरंजी पो0 कन्धरापुर तह0 सगडी जिला आजमगढ़

व श्री उमेश यादव

पुत्र श्री छोटेलाल यादव

पेशा अन्य

निवासी सा0 व पो0 टीकापुर तह व पुर्ण नि0बाद जिला

ने की।

प्रत्यक्षतः सद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार दिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0के0 मिश्र

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 482861

14

/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

- (ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्रविष्टियों के होते हुये भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी/किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियम अनुमोदित पारित स्वीकृत अनुमोदित एवं तत्कप्रभाव से लागू की जाती है कि उक्त न्यास विलेख पढ़कर एवं समझकर प्रभाव में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर बनाया गया।



(जि.र. ३ अ २७१५ चा ६०५)

20/4/13
unfiled

22/4/13

22/4/13

पंजाब सपाध्याय
1910-1913-1914-1915

न्यासी

Registration No.: 31

Year: 2,013

Book No.: 4

0101 जितेन्द्र प्रसाद यादव

जितेन्द्र प्रसाद यादव

अवध प्रताप यादव

सा0 भगवानपुर पो0 मदियापार तह0 बूढनपुर जिला आजमगढ़
कृषि



d



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 482860

15

साक्षीगण :-

नाम :- ① 'उमेश' कुमारी दीपलाल मादव
ग्राम - बिराहरी, ननपुर-
पता :- काम व पेट्टी टीकापुर आनमगढ़

श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव

(संस्थापक/ट्रस्टी/अध्यक्ष)

शान्ती देवी फाउण्डेशन एवं एजुकेशनल ट्रस्ट

नाम :-

पता :-

② Shashank Mishra
ग्राम - बरौली, पो - कन्हापुर
जिला - आनमगढ़
Vill. Khatia - Arnamgah

ससचिदाकर्ता

दिनांक

08-05-13

च

बजरंग मिश्रा

एडवोकेट



श्री जितेन्द्र प्रसाद यादव

13
अप्र-20

श. न. ह. म. र. ०५० २५०

२६०

०८
२४/५/१३

आज दिनांक 08/05/2013 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 144

पृष्ठ सं. 31 से 60 पर क्रमांक 31

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०के० मिश्र

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ़

8/5/2013

